उनवानः– पिन्टू बनाम रामदयाल

मु0न0:–85 / 2021

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी**

दिनांकः– 21.08.2024

मु0न0 85 / 2021

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. पिन्टूराम पुत्र लाडसाहब जाति मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(सायल)

बनाम

1. रामदयाल पुत्र रामरूप
2. शिवदयाल पुत्र रामरूप
3. मुनेष पुत्र रामस्वरूप
4. महेश पुत्र रामस्वरूप
5. रामस्वरूप पुत्र दौज्या

समस्त जाति मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायल

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट गैरसायल न0 1 व 2

निर्णय दिनांक 21.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की आराजी ख0न0 5067/0.03, 5069/0.36, 5070/0.38, 5071/0.03, 5072/0.54, 5073/0.12, 5074/0.28, 5075/0.03, 5076/0.42, 5077/0.12, 5078/0.11, 5079/0.12, 5088/0.15, 5081/0.16, 5082/0.40, 5083/0.32 कुल किता 16 कुल रकवा 3.57 है0 मे सायल बहिस्सा 26 / 357 का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदारान खातेदार है। सायल व गैरसायलान ने वर्षो पूर्व बाहमी बटवारा कर रखा है, बाहमी बटवारे मे सायल के हिस्से मे ख0न0 5074 आया है तथा सायल न0 5074 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात सायल के कब्जे काश्त की आराजी है वर्णित आराजीयात से सायल व अन्य सहखातेदारान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है।

बॉका दिनांक 05.10.2021 को सायल अपने बाहमी बटवारे मे आये ख0न0 5074 मे खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि अचानक गैरसायलान आ गये और ख0न0 5074 की डौल के सहारे कडब हो लगाने लगे सायल द्वारा काफी समझाया कि तुम ऐसा क्यो करते हो, तथा खेत मे कडब क्यो लगा रहे हो तो गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे तुने हमारे मना करने के बावजूद उक्त आराजी को क्यो खरीदा अब इस जमीन को हम जोतेगे तथा तुम्हे काश्त नही करने देगे तुम्हे ज्यादा परेशानी है तो तुम आधे हिस्से की [illegible] नही तो हम तुम्हे इसी प्रकार परेशान करेगे, लेकिन उन्होने किसी की नही मानी। इसलिए यह [illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी [illegible] सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने [illegible] गैरसायल को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान वखिलाफ गैरसायलान वावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावन्द किया जावे कि ग्राम टोडाभीम की आराजी ख0न0 5074/0.28 मे किसी भी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा मे मजाहमत मदाखलत नही करे, वेदखल नही करे नाही किसी अन्य से करावे। तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति वनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 3 ता 5 वावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 व 2 के वकील को जवाव पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाव पेश नही किया। इसलिये पत्रावली मे गैरसायलान का जवाव वन्द किया गया।

सायलान वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की आराजी कुल किता 16 कुल रकवा 3.57 है0 मे सायल बहिस्सा 26 / 357 का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदारान खातेदार है। सायल व गैरसायलान ने वर्षो पूर्व बाहमी बटवारा कर रखा है, बाहमी बटवारे मे सायल के हिस्से मे ख0न0 5074 आया है तथा सायल न0 5074 पर काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात सायल के कब्जे काश्त की आराजी है वर्णित आराजीयात से सायल व अन्य सहखातेदारान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इसलिये गैरसायलान को वर्णित आराजी ख0न0 5074 / 0.28 है0 मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान न0 1,2 के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र मनगढंत व झूठा पेश किया है। वर्णित आराजीयात पर सायलान का कब्जा नही है बल्कि कब्जा हमारा है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हैवी कॉस्ट खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम टोडाभीम की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 462 मे कुल किता 16 कुल रकवा 3.57 है0 मे सायल 26 / 357 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे अन्य सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड है परन्तु गैरसायलान दर्ज रिकार्ड नही है। सायल द्वारा ख0न0 5074 रकवा 0.28 है0 मे अनुतोष चाहा है। पत्रावली मे गैरसायलान द्वारा जबाब पेश नही किया है तथा खातेदार भी नही है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे खातेदार नही होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ख0न0 5074 रकवा 0.28 है0 मे यदि गैरसायलान को पावन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:09 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:18:09 IST
Reason: SelfAttested